01

प्रेस नोट दिनांक 10-10-2020

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार |

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बंसी के निर्देशन के क्रम में श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा व पुलिस टीम खेसरहा द्वारा एक अभियुक्त को आज दिनांक 10/10/2020 को पेडारी-धानी मार्ग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अमरजीत सिंह उर्फ अरविन्द सिंह उर्फ लल्ला उर्फ नट देहाती पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी कलनाखोर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण

1.एक अदद पल्सर मोटरसाइकिल UP-58 V-9667

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० श्री विश्वमोहन राय, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
2. हे०का० त्रिपुरारी उपाध्याय, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
3. का० धीरज राय, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 10-10-2020

श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एवं श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना सिद्धार्थनगर व थाना बंसी में प्रतिभाग कर जनता की समस्याओं को सुनकर उसके निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया |

आज दिनांक-10-10-2020 को में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी व सिद्धार्थनगर थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जहां पर महोदय ने फरियादियों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को मौके पर सुना तथा वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। महोदय ने कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी स्तर पर हीलाहवाली क्षम्य नहीं होगी । इसके अतिरिक्त उप-जिलाधिकारी/समस्त क्षेत्राधिकारी एवं प्र0नि0/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत #समाधान दिवस के अवसर पर जन-शिकायतों की सुनवाई की गयी एवं ग्राम प्रधानों/संभ्रान्त व्यक्तियों को पराली न जलाने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।